पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprises)

संदर्भ: PGCIL/R/E/20/00368

दिनांक:01.10.2020

सेवा में,
**श्री धीरज कुमार शर्मा**
**पुत्र श्री सुभाष चन्द्र**
**निवासी: ग्राम :-सिथरौली**
**पोस्ट:- हाथरस जंक्शन**
**तहसील व जनपद :-हाथरस (उत्तरप्रदेश)**
मो० 9837 352 824

**विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, आपके ऑनलाइन पत्र दिनांक 22.09.2020 के संबंध में**

महोदय,
आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम – 2005 के अंतर्गत, भेजा गया ऑनलाइन पत्र दिनांक 22.09.2020 को प्राप्त हुआ है | मांगी गयी जानकारी निम्नवत है-

| क्रमांक | मांगी गई जानकारी | दी गयी जानकारी |
|---|---|---|
| 01. | पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पारेषण लाइन के राइट ऑफ़ वे अंतर्गत आपके द्वारा निर्मित होने वाली 765/400/220/132 के०वी० पारेषण लाइनों को लगाए जाने पर कृषकों /भूस्वामियों को "क्षति" हुई फसलों एवं प्रभवित हुई जमीन की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड को क्या-क्या दिशा निर्देश जारी किए गए है | एवं आपके द्वारा कृषकों/भूस्वामियों को क्षति हुई फसलों एवं प्रभावित हुई जमीन के एवज़ में किस तरह लाभान्वित किया जाता है कि स्पष्ट, प्रमाणित, एवं पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें | | भारत विद्युत् अधिनियम 2003 एवं भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान, क्षतिग्रस्त फसल, पेड़ आदि का मुआवज़ा, प्रभावित किसान को देने का प्रावधान है | क्षति हेतु सम्बन्धित कास्तकारों/ भूस्वामियों को सम्बंधित कृषि विपणन अधिकारी/ राजस्व अधिकारी के द्वारा तय दर के आधार पर क्षतिपूर्ति हेतु मुआवज़ा दिया जाता है | इसके अतिरिक्त पारेषण लाइन टावर से प्रभावित हुई ज़मीन का मुआवज़ा राज्य सरकार के निर्देशानुसार करने का प्रावधान है | |

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:**
श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक निदेशक,
पावरग्रिड उ०क्षे० – 3
12 राणा प्रताप मार्ग,
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल, लखनऊ – 226001

भवदीय,

01.10.20

[राणा प्रताप]
महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित सी.पी.आई.ओ. - उ. क्षे. – 3,
पावरग्रिड , लखनऊ